तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21/03/24	अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत की है जो शामिल पत्रावली किया जावे। बहस अधिवक्ता अपीलान्ट सुनी गई। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने विरुद्ध रेस्पोडेन्ट के नामान्तकरण संख्या 1677 ग्राम पन्चायत घटियावली दिनांक 21/08/2012 इस आशय की अपील प्रस्तुत की है कि ग्राम घटियावली प०ह० घटियावली स्थित आराजी संख्या 201, 207, 208, 209, 210, 212, 243 कित्ता 7 रकबा 3.96 हे भूमि मे से मूल खातेदार मोवनी पिता भाना भील का हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड विलेख दिनांक 05/05/2012 से अपीलान्ट ने क्रय किया था। उक्त रजिस्टर्ड विलेख के माध्यम से नामान्तकरण हेतु दिनांक 21/08/2012 को पेश हुआ जिसे रेस्पोडेन्ट ने विवादित होने से खारिज किया जो क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार के परे होकर खारीज किया गया जो निरस्त योग्य है। नामान्तकरण एवं प्रवधान प्रक्रिया अधिनियम के तहत विवादित मामले की सुनवाई के लिए तहसीलदार चित्तौडगढ का क्षेत्राधिकार है, फिर भी ग्राम पन्चायत घटियावली ने निर्णय पारित किया है जो न्याय नियम के विपरित होकर निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ नामान्तकरण संख्या 1677 दिनांक 21/08/2012 ग्राम पन्चायत घटियावली का निर्णय निरस्त किया जाकर रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर ग्राम घटियावली .....लगातार

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with AnyScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की आराजी संख्या 201, 207, 208, 209, 210, 212, 243 कीता 7 रकबा 3.96 हे. भूमि मे निहित मोवनी पिता माना भील का हिस्सा अपीलान्ट के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटीस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई, इस हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जो न्याय हित मे स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर चिन्तन-मनन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र की प्रति से स्पष्ट है कि ग्राम धोरियाखली स्थित आराजी संख्या 201, 207, 208, 209 210, 212, 243 कीता 7, कुल रकबा 3.96 हे. मे विक्रेता मु. मोवनी पुत्री एवं माना भील का निहित 1/8 हिस्सा अपीलान्ट को विक्रय किया गया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोले गए नामान्तरकरण संख्या 1677 को विवादित मानते हुए दिनांक 21/08/2012 को रेस्पोडेन्ट सरपन्च ग्राम पन्चायत धोरियाखली द्वारा खारिज ......लगातार

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with AnyScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में जज
	कर दिया गया। जबकि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 के प्रावधानों के तहत विवादास्पद नामान्तरकरण का निर्णय करने के लिए तहसीलदार अधिकृत है। इससे स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण को रेस्पोडेन्ट द्वारा स्वीकृत किया गया जो गलत है। नामान्तरकरण विवादित होने से रेस्पोडेन्ट को चाहिए था कि निर्णय के लिए अधिकृत अधिकारी तहसीलदार को प्रेषित करते। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य पाई जाती है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 1677 दिनांक 21/08/2012 ग्राम न्धोडियाकाली निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र के आधार पर जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय लिखवाया जाकर सुनाया गया निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को प्रेषित की जावे। पत्रावली बाजाब्ता शुमार होकर नम्बर से खारिज हो। (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

Scanned with AnyScanner